न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या : 2017/39

1. गोपाल पुत्र स्व0 श्री चोगान जाति अहीर निवासी ऊती रोड, अहीरो की ढाणी, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. रामसहाय
3. मोहन
4. राधेश्याम

   पुत्रान् मांगू उर्फ मॉगी लाल जाति अहीर निवासी उॅती रोड, मलिक फॉर्म के सामने बगरू जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश
2. सीताराम
3. कैलाश
4. बंशी
5. केसर लाल

   पुत्रान् स्व0 श्री हनुमान जाति यादव निवासी उॅती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्व0 श्री हनुमान निवासी उॅती रोड, पेट्रोल पम्प के सामने, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. तहसीलदार, तहसील सॉगानेर जिला जयपुर राज0।
8. मंदिर श्री बिहारी जी जरिये पुजारी ओमप्रकाश भारद्वाज पता बिहारी बाजार, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

दिनांक: 28.08.2019

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम एवं भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरू कलॉ तहसील सांगानेर जिला

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

जयपुर राज0 में स्थित आराजी कृषि भूमि जो राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 के अन्तर्गत दर्ज इन्द्राज के अनुसार खाता संख्या 663 के खसरा नंबर 2204, 2207, 2208, 2209, 2210, 2201, 2202, 2203, 2205, 2206 कुल खसरा 10 कुल रकबा 20 बीघा हनुमान पुत्र श्री सोहन लाल जाति बागडा ब्राहम्ण व हनुमान पुत्र श्री चौगान जाति अहीर, के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि के वर्तमान खाता संख्या नया 737 एवं पुराना 689 जिसके खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0. 22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0. 1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0. 2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर है उक्त कृषि भूमि को आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जावेगा। जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 के अन्तर्गत उक्त विवादित कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा हनुमान पुत्र श्री चौगान जाति अहीर के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। उक्त विवादित कृषि भूमि गोवर्धन दास से दिनांक 21.05.1964 को कय की गयी थी हनुमान पुत्र श्री चौगान प्रार्थी संख्या 1 का भाई वादी संख्या 2 लगायत 4 का ताउ एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का पिता व अप्रार्थी संख्या 6 का पति था। विवादित कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारियो को रूपये व लगान की मांग करने पर रूपये व अनाज मांगने व प्रार्थीगण द्वारा नही देने के कारण दुर्भावना रखते हुये गलत व गैर कानूनी तरीके से उक्त कृषि भूमि मंदिर श्री श्यामजी स्थान देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर गये उक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की दुर्भावना के कारण किया हुआ है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही था। जबकि विवादित कृषि भूमि पर पूर्व से काश्त करने व रजिस्टी के पश्चात लगभग 70 वर्षो से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो का कब्जा रहा है। प्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता स्व0 मांगू उर्फ मांगीलाल एवं अप्राथी संख्या 1 लगायत 5 के पिता स्व0 हनुमान पूर्व में शामलाती परिवार में साझा इकटठे ही रहते थे। इसी दौरान उक्त विवादित कृषि भूमि कय की गयी थी। भाईयो में आपस में अगाध प्रेम होने के कारण उक्त विवादित कृषि भूमि अकेले हनुमान के नाम ही करवा दी गयी थी। क्योकि सभी भाईयो में हनुमान उम्र व पद में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

सबसे बडा था इसलिए उसी के नाम उक्त विवादित भूमि क्रय की गयी थी। बाद में अलग होने के उपरांत तीनो भाईयो के द्वारा मनबंट के आधार पर उक्त विवादित कृषि भूमि में काश्त की जाती थी। प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पिता मांगू उर्फ मांगीलाल की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्रों द्वारा उक्त विवादित भूमि में बुआई जुताई आदि के कृषि कार्य किये जाते है। अप्रार्थीगण के द्वारा या उनके पिता स्वर्गीय हनुमान द्वारा विवादित कृषि भूमि पर इन लोगो ने किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नही किया और ना ही इन लोगो का इस भूमि पर कभी कोई कब्जा रहा। विवादित कृषि भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पिता स्व0 हनुमान में विवाद उत्पन्न होने पर गांव के पॉच आदमियो के समक्ष दिनांक 02.09.1979 को एक पॉच रूपयें कीमती स्टाम्प पर इनकी जमीनो का इकरारनामा लिखा गया उक्त स्टाम्प स्वग्रीय हनुमान का पुत्र सीताराम, स्वर्गीय हनुमान के नाम से लेकर आया था। उक्त इकरारनामा दिनांकित 02.09.1979 के अनुसार विवादित कृषि भूमि के बाबत् सभी तीनो भाईयो स्वर्गीय हनुमान स्व0 श्री मांगू उर्फ मांगीलाल व गोपाल का हिस्सा बराबर–बराबर माना गया। उक्त इकरारनामे को सभी लोगो को समझाकर व सुनाकर उसपर हस्ताक्षर करवाये गये व समाज के प्रतिष्ठित कई लोगो ने इस पर हस्ताक्षर किये, व हनुमान के पुत्र सीताराम ने भी जो अप्रार्थी संख्या 2 है ने भी इसपर हस्ताक्षर किये तभी से प्रार्थीगण उक्त विवादित कृषि भूमि के 2/3 हिस्से व अप्रार्थीगण 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। हनुमान की मृत्यु वर्ष सन् 2004 में होने के उपरांत उसके पुत्रों के मन में खोट उत्पन्न हो जाने के कारण सम्पूर्ण विवादित कृषि भूमि पर नाजायज कब्जा कर उसको विक्रय करने पर उतारू रहते है अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा फसाद करते रहते है जिसकी कई बार पुलिस थाना बगरू में भी शिकायत दर्ज करवाई जा चुकी है व इन लोगो के खिलाफ पुलिस द्वारा कई बार कार्यवाही की जा चुकी है प्रार्थीगण अपने 2/3 हिस्से पर शुरू से ही काबिज होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है अप्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री हनुमान के नाम उक्त विवादित कृषि भूमि होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर अमादा है जिसका अप्रार्थीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। आयेदिन की लडाई झगडो से परेशान होकर दिनांक 22.09.2016 को प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य एक राजीनामा लिखा गया जिसके अनुसार सभी पक्ष मिल बैठकर सभी जमीनो का विवाद खत्म करेगे तब तक सभी जमीनो पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

यथास्थिति बनाये रखेगे व विवादित कृषि भूमि पर भी यथास्थिति बनाये रखेगें। राजीनामा लिखकर सभी पक्षो ने इसपर हस्ताक्षर कर दिये जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण आयेदिन झगडा फसाद करते रहते थे इसी कारण उक्त राजीनामा लिखा गया। दिनांक 20.04.2017 को अप्रार्थीगण व इनके अनेक रिश्तेदार ट्रेक्टर ट्रोली में भरकर लाठियों व अन्य हथियारो से लेस होकर आये और विवादित भूमि पर नाजायज तार बाउण्ड्री करने की कोशिश करने लगे व प्रार्थीगण को हथियार दिखाकर धमकीया देने लगे कि हम इस विवादित भूमि पर कब्जा करके इसे विक्रय कर देगे यदि तुमने हमें रोकने की कोशिक की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे ऐसा कहकर अप्रार्थीगण व उनके रिश्तेदार हाथो में हथियार लेकर प्रार्थीगण के पीछे दोडे जिससे डरकर प्रार्थीगण ने भागकर अपनी जान बचाई एवं पुलिस को सूचना देने के उपरांत आयन्दा कब्जा करने की धमकी देकर अप्रार्थीगण वहां से चले गये इसके पश्चात् अप्रार्थीगण अनेक बार विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा करने व कब्जे के आधार पर विक्रय करने की कोशिशे कर चुके है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण उक्त विवादित भूमि जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा रूपये व अनाज मांगने व प्रार्थीगण द्वारा नही देने के कारण दुर्भावनापूर्वक गलत व गैर कानूनी तरीके से मंदिर श्री श्या मजी स्थान देह खातेदार के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया है जिसे अवैध घोषित कराने व इन्द्राज दुरूस्त करवाने व दिनांक 02.09.1979 को हुये इकरारनामे के आधार पर अपना हिस्सा घोषित करवाने एवं इन्द्राज दुरूस्त कराने के अधिकारी है अप्रार्थीगण उक्त भूमि को ऐन केन प्रकारेण खुर्द बुर्द करने पर तुले हुये है। अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर दौराने दावा अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में उल्लेखित ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित विवादित कृषि भूमि का नया खाता संख्या 737 एवं पुराना 689 जिसके खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0. 51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर में बिना प्रार्थीगण का हिस्सा घोषित हुये व विधिक बंटवारा एवं इन्द्राज दुरूस्त हुये बिना उक्त खसरान की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण, अनुबंध, वसीयत, रहन, मौरगेज इत्यादि करने से निषेध रहे तथा प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग, उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, विशिष्ठ भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण करने, तार बाउण्ड्री करने, काश्त करने, हरे पेड काटने, से निषेध रहे तथा अपने अपने परिवारजनो एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि को भी निषेध रखे, तथा मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ रजिस्ट्री जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, मिलान क्षेत्रफल, इकरारनामा, राजीनामा पत्र जमांबदी संवत 2070 से 2073 समस्त फोटो प्रति पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता0 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित है कि :–

कुल खसरा नंबरान् 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 6 के पति स्व0 श्री हनुमान पुत्र श्री चौगान की स्वयं की अर्जित आय से क्रय की गयी है, जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 शुरू से ही निर्विवादित रूप से कब्जेकाश्त है, उक्त आराजी कृषि भूमि कतई विवादित नहीं है और ना ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कतई कोई कब्जा है। वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का कतई कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है और ना ही उनका कभी कोई कब्जा रहा है। जब प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि से कोई संबंध एवं सरोकार ही नहीं है तो ऐसी सूरत में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थीगण से किसी प्रकार के रूपये लगान एवं अनाज आदि की मांग किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है और ना ही उक्त कृषि भूमि मन्दिर श्री श्या मजी स्थान देह खातेदार के नाम राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज हुई है, प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय को दिग्भ्रमित करने की कुचेष्टा मात्र से इस चरण में झूंठे एवं मनगढन्त तथ्य अंकित किये है। दिनांक 02.09.1979 में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई इकरारनामा नहीं लिखा गया है और ना ही किसी इकरारनामा दिनांकित 02.09.1979 पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसके पिताजी स्व0 श्री हनुमान ने कोई हस्ताक्षर किये है, बल्कि प्रार्थीगण ने आपस में साजिश कर यदि कोई फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा अप्रार्थीगण की उक्त आराजी कृषि भूमि को हडपने की कुचेष्टा से बनाया है तो वह "नल एण्ड वाईड" है तथा उसके लिये प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के विरूद्व कूटरचित इकरारनामा बाबत अलग से कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 22.09.2016 को कतई कोई राजीनामा नहीं लिखा गया है बल्कि प्रार्थीगण निहायत ही चालाक किस्म के व्यक्ति हैं तथा राजनैतिक प्रभावशाली एवं उंचे उंचे रसूखधारों से अपने संबंध होने का फायदा उठाकर एवं पुलिस से सांठगांठ पुलिस थाना बगरू में पुलिस द्वारा अप्रार्थीगण पर दबाव बना कर दिनांक 22.09.2016 को थाने में पुलिस ने एक सादा कागज पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के हस्ताक्षर पक्षकारान् के मध्य फौजदारी प्रकरण में राजीनामें का आश्वासन् देकर करवाये थे। अप्रार्थीगण के उक्त हस्ताक्षरशुदा खाली कागज को प्रार्थीगण ने पुलिस के मिलीभगत कर अपने मनमाफिक लिख लिया है, जो अप्रार्थीगण के हक एवं अधिकारों के विपरित होने के कारण "नल एण्ड वाईड" है। यहां यह उल्लेखित करना समीचीन होगा कि प्रार्थी संख्या 2 एवं प्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता स्व0 श्री मांगी उर्फ मांगू निहायत ही चालक एवं शातिर किस्म के व्यक्ति है, जिन्होंने गवाह रामस्वरूप यादव के साथ आपस में षडयंत्र रचकर अप्रार्थी संख्या 2 की नाबालिगी का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2 की 10 बीघा कृषि भूमि को दिनांक 15.01.1980 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र स्वयं के नाम क्रय कर ली। जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के पिताजी स्व0 श्री हनुमान ने इनके विरूद्ध पुलिस थाना सांगानेर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 41/1983 दर्ज करवायी, जिस पर पुलिस थाना सांगानेर द्वारा अनुसंधान करके इनके विरूद्व चालान अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120–बी भा.द.सं. में पेश किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य दिनांक 03.05. 1998 को राजीनामा हो गया, जिसके अनुसार प्रार्थीगण ने शामलाती पैतृक आवासीय मकान एवं संयुक्त आराजी कृषि भूमि नई कोठी एवं घर वाली कोठी के अपने अपने 1/3–1/3 हिस्से को अप्रार्थीगण को दे दिया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पुत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय हर्जो–खर्चो खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित है कि मंदिर माफकी की भूमि मूर्ति के नाम ही होती है इसलिए राजस्व कर्मचारियों ने जो भी रिकॉर्ड बनाया है वह सही व सत्य है उसमें कुछ भी मिथ्या अंकित नही है। मंदिर श्री बिहाराजी स्थान देह खातेदारान् की भूमि का होने के कारण एवं मंदिर मूर्ति नाबालिग होने से किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण प्राप्त हरने के अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा मांगी गई रिलीफ मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 को पाबंद किये जाने के अतिरक्ति किस भी रिलीफ पर ध्यान नहीं दिया जाकर मय विशेष हर्जे खर्चे के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर हुआ कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित एक अन्य वाद (11/2019 बउनवानी रामनारायण बनाम मंदिर श्री बिहाराजी) न्यायालय में विचाराधीन है। विचाराधीन वाद के प्रार्थना पत्र टीआई में अन्तिम निर्णय पारित कर मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षो को पाबंद किया गया है इसलिए इस प्रार्थना पत्र टीआई में भी उभयपक्ष को पाबंद किया जाना उचित समझते है जिससे वादग्रस्त भूमि के निस्तारण में बाहुल्यता न बढें।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात हाल खसरा नंबर 4020 रकबा 0.40 है0, 4021 रकबा 0.36 है0, 4022 रकबा 0.01 है0, 4023 रकबा 0.34 है0, 4024 रकबा 0.17 है0, 4025 रकबा 0.22 है0, 4027 रकबा 0.35 है0, 4028 रकबा 0.12 है0, 4029 रकबा 0.28 है0, 4030 रकबा 0.51 है0, 4031 रकबा 0.21 है0, 4032 रकबा 0.20 है0, 4034 रकबा 0.38 है0, 4035 रकबा 0.22 है0, 4036 रकबा 0.24 है0, 5495 रकबा 0.1300 है0, 5496 रकबा 0.0300 है0, 5497 रकबा 0.2700 है0, 5500 रकबा 0.2800 कुल खसरा 20 कुल रकबा 5.7300 हैक्टेयर ग्राम बगरू कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थिति के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2020.02.20 15:14:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: